ljkguh; dk;Z
çsl uksV
ehfM;k lsy] tuin xks.Mk
fnukad 22-02-2023

,Vh,e ls NsM+NkM+ dj cSadks ls Bxh djus okys 02 vUrjkZT;h; lkbcj vijk/kh fxj¶rkj] 09 vnn fofHkUu cSad ds ,Vh,e dkMZ] 02 vnn eksckby] ,Vh,e [kksyus esa ç;qDr lkexzh o 01 vnn fLo¶V fMtk;j dkj cjken&

दिनांक 21.02.2023 को आई0डी0बी0आई0 बैंक के ब्रांच हेड उदित कुमार द्वारा थाना को0 नगर में प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 12.01.2023 को आई0डी0बी0आई0 बैंक की गोण्डा शाखा में लगे एटीएम मशीन में धोखाधड़ी करके 15,000/– रूपयों की चोरी की गयी है। जिसकी जानकारी बैंक को दिनांक 31.01.2023 को दिनांक 12.02.2023 को फेल ट्रंजेक्शन का निस्तारण करते समय लगी। आई0डी0बी0आई0 बैंक के ब्रांच हेड उदित कुमार के प्रार्थना पत्र पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने घटना को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में टीमें गठित कर साइबर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष व साइबर सेल/सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 टीम को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज व साइबर सेल/सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा उक्त घटना कारित करने 02 अन्तर्राजीय साइबर अपराधियों 01. वाहिद, 02. फैजान खान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न बैंको के 08 अदद एटीएम कार्ड, 02 अदद मोबाइल फोन, एटीएम खोलने में प्रयुक्त सामग्री व 01 अदद स्विफ्ट डिजायर व 2100 रू0 नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

vijk/k djus dk rjhdk&

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया की एटीएम मशीन में कार्ड लगाकर ट्रांजैक्शन से संबंधित समस्त कार्यवाही को पूरा करते थे और जैसे ही पैसा एटीएम मशीन की ट्रे से बाहर आने वाला होता था हम एटीएम मशीन का पावर सप्लाई का तार निकाल देते थे जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था और पैसा ट्रे से बाहर निकल आता था अगर पैसा बाहर आने में कोई समस्या होती थी तो हम उसे अपने पेचकस और वायर से बाहर निकाल लेते थे इसके बाद बाहर निकल कर बैंक कस्टमर केयर को फोन कर ट्रांजैक्शन फेल की शिकायत दर्ज करा देते हैं बैंकिंग नियमों के अनुसार कुछ दिनों में धनराशि हमारे खाते में वापस आ जाती थी इस तरीके से हमने कई जिलों और कई राज्यों में ठगी की है।

fxj¶rkj vfHk;qDrx.k&

01. वाहिद पुत्र अजीज खॉ नि0ग्राम वार्ड नं0–13 अलीगंज जनपद एटा।

02. फैजान खान पुत्र अकील खान नि0ग्राम मेवाती नगला थाना ताजगंज जनपद आगरा।

vukofjr vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–164/23, धारा 379,420 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–66/23/23, धारा 41,411,420 थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. विभिन्न बैंको के 09 अदद एटीएम कार्ड।

02. 02 अदद मोबाइल फोन।

03. एटीएम खोलने में प्रयुक्त सामग्री।

04. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर।

05. 2100 रू0 नगद।

fxj¶rkj drk Vhe&

01. थानाध्यक्ष उमरीबेगमगंज संजीव कुमार वर्मा मय टीम।

02. हे0का0 राजू सिंह।

03. हे0का0 अरविन्द।

04. हे0का0 यशवन्त यादव।

05. हे0का0 रणधीर सिंह

06. हे0का0 चालक अमित कुमार।

07. का0 अरविन्द कुमार

08. का0 हरिओम टण्डन।

dk;ky; iqfyl v/kh{kd tuin xk.Mk fnukd 22-02-2023

'kkfrHkkx dh vk'kdk d eíutj iqfyl }kjk dh x;h dk;okgh&

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालाu न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 okjVh vfHk;ä fxj¶rkj&

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01, थाना छपिया पुलिस ने 01 व थाना मनकापुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

vo/k 'kjkc d fu"d"k.k] fcØh o ifjogu d fo#) tuinh; iqfyl }kjk dh xbZ dk;okgh&

01- Fkkuk rjcxat }kjk dh x;h dk;okgh&

01. रामकिशुन पुत्र कन्हई नि0 ग्राम रानीपुर बगिया रामपुर टेगरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–81/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02- Fkkuk othjxat }kjk dh x;h dk;Okkgh&

01. विष्णु सोनकर पुत्र स्व0 हुसैनी नि0 ग्राम हजियापुर पुरैना गणेशपुर ग्रंट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–99/23, धारा 272 भादवि व 60/60(2) आबकारी के तहत अभियोग पंजीकृत विधिक कार्यवाही की गयी।

l jkguh; dk;l
çl ukV
ehfM;k l y] tuin xk.Mk
fnukd 22-02-2023

ukckfyx yMdh d lkFk NMNkM dju dk okfNr vfHk;ä fe'ku 'kfä vfHk;ku d rgr fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिक लड़की के साथ छेडछाड करने के वांछित अभियुक्त–कपिल उर्फ कपिलदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेडछाड किया था। जिसके सम्बन्ध मे पीड़िता की माता द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;ä&

01. कपिल उर्फ कपिलदेव पुत्र देवी प्रसाद नि0 सिसई परसियारानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

ithd`r vfHk;kx&

01. मु0अ0सं0–32/2023 धारा 451,354,504,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

fxj¶rkj dju okyh Vhe&

उ0नि0 सत्येन्द्र कुमार यादव मय टीम।

ljkguh; dk;Z
çsl uksV
ehfM;k lsy] tuin xks.Mk
fnukad 22-02-2023

vo/k enkd inkFkksZ dh lkFk 01 vfHk;qä fxj¶rkj&

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मो0 अमन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

fxj¶rkj vfHk;qä&

01. मो0 अमन पुत्र अनवर अली नि0 मो0 मुठ्ठीगंज कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

iathd`r vfHk;ksx&

01. मु0अ0सं0–86/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

cjkenxh&

01. 01 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा

fxj¶rkj djus okyh Vhe&

उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह मय टीम।